

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र


क्रमांक संख्या 73/जयपुर/2008-09

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. राधाकृष्णन एजूकेशनल सोसाइटी, कोटपूतली, जयपुर का पंजीयन राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत दिनांक 30.04.2008 को किया गया था।

अब इस संस्था का नाम परिवर्तन कर जाग्रति फाउंडेशन संस्थान.....जयपुर.....

कर दिया गया है। यह परिवर्तन राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के प्रावधानान्तर्गत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की सील से आज दिनांक 28.10.2015 को जयपुर में दिया गया।


(अ. के. मिश्रा)
रजिस्ट्रार संस्थाएँ

जयपुर